2025:CGHC:43803–DB

प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका सिविल क्रमांक 1135/2025

रिकार्डर्स एंड मेडिकेयर सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड, द्वाराः प्राधिकृत प्रतिनिधि, जिसका कार्यालय प्लॉट नंबर 11, एच.एस.आई.डी.सी., आई.टी. पार्क, सेक्टर 22, पंचकुला, हरियाणा में स्थित है।

... याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1– छत्तीसगढ़ राज्य, द्वाराः सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर, छत्तीसगढ़।

2– छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, द्वाराः प्रबंध निदेशक, हाउसिंग बोर्ड, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, चतुर्थ तल, दक्षिण पूर्व कोण, सेक्टर 27, नवा रायपुर, छत्तीसगढ़।

3– संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, द्वाराः संचालक, स्वास्थ्य भवन, सेक्टर 19, नया रायपुर, जिला–रायपुर, छत्तीसगढ़।

... उत्तरवादीगण

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

याचिकाकर्ता की ओर से : श्री किशोर भादुड़ी, वरिष्ठ अधिवक्ता, सहित श्री हर्ष दवे, अधिवक्ता।

उत्तरवादी/ राज्य क्रमांक 1 व 3 की ओर से : श्री संघर्ष पाण्डेय, शासकीय अधिवक्ता।

उत्तरवादी क्रमांक 2 की ओर से : श्री त्रिविक्रम नायक, अधिवक्ता।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति श्री रमेश सिन्हा

माननीय न्यायमूर्ति श्री बिभु दत्त गुरु

बोर्ड पर निर्णय

द्वारा, मुख्य न्यायाधिपति रमेश सिन्हा

28/08/2025

1. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री किशोर भादुड़ी सहित विद्वान अधिवक्ता श्री हर्ष दवे को सुना गया। साथ ही, राज्य/उत्तरवादी क्रमांक 1 व 3 की ओर से उपस्थित विद्वान शासकीय अधिवक्ता श्री संघर्ष पाण्डेय तथा उत्तरवादी क्रमांक 2 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री त्रिविक्रम नायक को भी सुना गया।

2. भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन प्रस्तुत इस याचिका द्वारा याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित अनुतोष की मांग की है:

"क. यह माननीय न्यायालय एक उपयुक्त रिट जारी कर उत्तरवादी क्रमांक 2 द्वारा याचिकाकर्ता के विरुद्ध जारी आक्षेपित आदेश दिनांक 05.02.2025, क्रमांक 14209/ सीजीएमएससीएल/ ईक्यूपी/ 2025 और उससे उद्भूत होने वाले समस्त परिणामों एवं संबंधित कार्यवाही को अभिखण्डित/अपास्त करने की कृपा करे; तथा

ख. यह माननीय न्यायालय यह अभिनिर्धारित और घोषित करने की कृपा करे कि उत्तरवादी क्रमांक 2–कॉर्पोरेशन द्वारा आक्षेपित 'काली सूची में डालने' के आदेश हेतु अपनाया गया आधार अवैध, मनमाना और शून्य है; तथा

ग. यह माननीय न्यायालय उत्तरवादीगण, विशेष रूप से उत्तरवादी क्रमांक 2–कॉर्पोरेशन को निर्देशित करने की कृपा करे कि वे याचिकाकर्ता का नाम काली सूची से हटाएँ और याचिकाकर्ता को भविष्य की निविदाओं में भाग लेने की अनुमति प्रदान करें;

घ. यह माननीय न्यायालय उत्तरवादी क्रमांक 2–कॉर्पोरेशन को निर्देशित करने की कृपा करे कि वह याचिकाकर्ता को उसके द्वारा किए गए उल्लंघन के कारण हुई व्यावसायिक प्रतिष्ठा एवं व्यापार की हानि की पर्याप्त प्रतिकर प्रदान करे; तथा

ङ. यह माननीय न्यायालय याचिकाकर्ता के पक्ष में कोई अन्य आदेश, जो प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए उचित और न्यायसंगत प्रतीत हो, सव्यय पारित करने की कृपा करे।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत तथ्य इस प्रकार हैं कि याचिकाकर्ता ने, पूर्णतः पात्र होने के नाते, चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति हेतु उत्तरवादी क्रमांक 2 द्वारा जारी निविदा संदर्भ क्रमांक 182/इक्यूपी/सीजीएमएससी/2022–23, दिनांक 26.08.2022 में भाग लिया था। याचिकाकर्ता ने निविदा की शर्तों और निबंधनों के अनुसार अपनी बोली प्रस्तुत की थी और अत्यंत ईमानदारी एवं पारदर्शिता के साथ इस प्रक्रिया में सम्मिलित हुआ था। याचिकाकर्ता निविदा प्रक्रिया में असफल रहा था और उसे चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति हेतु कभी भी निविदा आवंटित नहीं की गई थी। इसके बावजूद, दिनांक 30.01.2025 को उत्तरवादी क्रमांक 2–कॉर्पोरेशन ने याचिकाकर्ता को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया, जिसमें यह आरोप लगाया गया कि याचिकाकर्ता ने निविदा प्रक्रिया के दौरान कपट, भ्रष्ट आचरण, दुरभिसंधि बोली और महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाने का कृत्य किया है। याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 01.02.2025 को उक्त निराधार आरोपों का खंडन करते हुए एक विस्तृत उत्तर प्रस्तुत किया

गया, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ यह स्पष्ट किया गया कि याचिकाकर्ता–कंपनी और सफल निविदाकार, अर्थात 'मोक्षित कॉर्पोरेशन' के मध्य कोई संबंध नहीं था। याचिकाकर्ता के विस्तृत उत्तर के बावजूद, उत्तरवादी क्रमांक 2 ने अपने आदेश दिनांक 05.02.2025 के माध्यम से याचिकाकर्ता को तीन वर्षों की अवधि के लिए केवल इस आधार पर काली सूची में डाल दिया है कि भ्रष्टाचार निवारण ब्यूरो/आर्थिक अपराध शाखा, छत्तीसगढ़ द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7(ग), 12(1)(क), 13(2) और भारतीय दंड संहिता की धारा 409, 120 ख के अधीन एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है, जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि याचिकाकर्ता ने अन्य संस्थाओं के साथ मिलकर निविदा प्रक्रिया के दौरान दुरभिसंधि बोली और भ्रष्ट आचरण किया था।

4. याचिकाकर्ता–कंपनी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री भादुड़ी ने यह तर्क किया है कि आज की तिथि तक किसी भी न्यायालय में याचिकाकर्ता के विरुद्ध कोई भी आरोप साबित नहीं हुए हैं और ऐसी स्थिति में, केवल इस तथ्य के आधार पर कि भ्रष्टाचार निवारण ब्यूरो/आर्थिक अपराध शाखा द्वारा एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, याचिकाकर्ता को काली सूची में नहीं डाला जा सकता। अभिलेख पर ऐसी कोई सामग्री उपलब्ध नहीं है जिससे यह अभिनिर्धारित किया जा सके कि याचिकाकर्ता दुरभिसंधि बोली या किसी कपट या भ्रष्ट आचरण में संलिप्त था। वह माननीय उच्चतम न्यायालय के **मैसर्स इरुसियन इक्विपमेंट एंड केमिकल्स लिमिटेड विरुद्ध पश्चिम बंगाल राज्य,** (1975) 1 एससीसी 70 के निर्णय का अवलंब लिया है, जिसमें इस तथ्य पर बल दिया गया है कि काली सूची में डालना 'वस्तुनिष्ठ संतुष्टि' पर आधारित होनी चाहिए और यह मनमानी नहीं होनी चाहिए। वह आगे माननीय उच्चतम न्यायालय के सुप्रसिद्ध प्रकरणों **न्यू होराइजन्स लिमिटेड विरुद्ध भारत संघ, {(1995)** 1 एससीसी 478**}** और **आर.डी. शेट्टी विरुद्ध इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया,** {(1979) 3 एससीसी 489} के निर्णयों का अवलंब लिया है, जिनमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अनुबंध के प्रकरणों में राज्य निजी व्यक्तियों की तरह कार्य नहीं कर सकता क्योंकि ऐसी अनुबंधओं में लोक तत्व निहित होते हैं, अतः राज्य को मनमाने और अनियंत्रित तरीके से कार्य करने से बचना चाहिए।

5. श्री भादुड़ी ने आगे यह तर्क किया है कि व्यापार और व्यवसाय करने का मौलिक अधिकार संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है और यह जीवन के मौलिक अधिकार का ही विस्तार है, अतः उत्तरवादी/कॉर्पोरेशन का यह आचरण हमारे देश के संवैधानिक ढांचे की जड़ पर प्रहार करता है। ई–निविदा (अनुलग्नक पी/2) में स्पष्ट रूप से उन शर्तों का उल्लेख किया गया है जिनके अंतर्गत किसी निविदाकार को काली सूची में डाला जा सकता है। निविदा दस्तावेज़ के खंड–II की धारा 9–ख के अनुसार, काली सूची में केवल तभी डाला जा सकता है यदि निविदाकार मिथ्या, कूटरचित, या बनावटी दस्तावेज प्रस्तुत करता है अथवा महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाता है। हालाँकि, वर्तमान प्रकरण में, उत्तरवादी क्रमांक 2–कॉर्पोरेशन द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जो काली सूची के

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

आक्षेपित आदेश को पारित करने को न्यायोचित ठहरा सके। वास्तव में, उत्तरवादी क्रमांक 2–कॉर्पोरेशन ने निविदा दस्तावेज़ के खंड–II की धारा 9–ख में निर्धारित शर्तों और निबंधनों का उल्लंघन किया है। अतः, यह याचिका स्वीकार किए जाने योग्य है। अपने तर्कों के समर्थन में, श्री भादुड़ी ने माननीय उच्चतम न्यायालय के **बैकारोस परफ्यूम्स एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड विरुद्ध केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो व एक अन्य** {(2025) 1 एससीसी 384}, **मध्यमम ब्रॉडकास्टिंग लिमिटेड विरुद्ध भारत संघ व अन्य** {(2023) 13 एससीसी 401}, **टेक्नो प्रिंट्स विरुद्ध छत्तीसगढ़ पाठ्यपुस्तक निगम व एक अन्य** {2025 एससीसी आनलाइन एससी 343} के निर्णयों और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के **मैसर्स एशियन फर्टिलाइजर्स लिमिटेड विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य व 3 अन्य** {2015 एससीसी आनलाइन आल 7829} में पारित निर्णयों का अवलंब लिया है।

6. दूसरी ओर, राज्य/उत्तरवादी क्रमांक 1 व 3 की ओर से उपस्थित विद्वान शासकीय अधिवक्ता श्री संघर्ष पाण्डेय का यह तर्क है कि इस याचिका में मुख्य प्रतिवादी पक्षकार उत्तरवादी क्रमांक 2/कॉर्पोरेशन है, जिसने आक्षेपित आदेश पारित किया है और याचिकाकर्ता को भविष्य की भागीदारी से काली सूची में डाला है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. उत्तरवादी क्रमांक 2/कॉर्पोरेशन की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री त्रिविक्रम नायक यह तर्क है कि रिट याचिका को स्वीकार करना माननीय उच्च न्यायालय का पूर्ण विवेकाधिकार है, तथापि, यह तर्क है कि याचिकाकर्ता विधि के अधीन उपलब्ध अपने प्रभावकारी वैकल्पिक उपचार का उपयोग करने में विफल रहा है; अर्थात,निविदा आमंत्रण सूचना के खंड–III की धारा 20 विशिष्ट रूप से मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के अनुसार मध्यस्थता के माध्यम से विवादों के समाधान का प्रावधान करती है। इसके अतिरिक्त, यह निविदा स्वीकार करने वाले प्राधिकारी के किसी भी आदेश के विरुद्ध सचिव, स्वास्थ्य विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के समक्ष अपील करने का भी प्रावधान करती है। अतः, यह याचिका प्रारंभिक स्तर पर ही खारिज किए जाने योग्य है और इस माननीय उच्च न्यायालय के रिट अधिकारिता के अधीन आने से पूर्व विधि के अधीन उपलब्ध प्रभावकारी वैकल्पिक उपचार का उपयोग करने के लिए याचिकाकर्ता को निर्देशित किया जाना चाहिए।

8. उपरोक्त के अतिरिक्त, श्री नायक द्वारा यह तर्क किया गया है कि उत्तरवादी प्राधिकारी द्वारा दिनांक 05.02.2025 को पारित आदेश उचित, न्यायसंगत एवं युक्तियुक्त है और काली सूची में डाले जाने से संबंधित स्थापित न्यायशास्त्र के अनुरूप है। इसके अतिरिक्त, यह भी तर्क किया गया है कि उक्त प्रकरण में नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का विधिवत पालन किया गया था। खंड–II की धारा 9 (ख) काली सूची में डाले जाने से संबंधित है और धारा 9 (ख) के उप–खंड 2 के अनुसार— कोई भी निविदाकार, जो बोली जीतने या क्रय आदेश प्राप्त करने के आशय से मिथ्या, कूटरचित या बनावटी दस्तावेज प्रस्तुत

करता है अथवा तथ्यों को छिपाता है, वह 03 वर्ष की अवधि के लिए काली सूची में डाले जाने का भागी होगा। प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर निविदाकार अन्य विधिक कार्यवाही का भी पात्र होगा। धारा 9 काली सूची में डाले जाने की प्रक्रिया का भी प्रावधान करती है, जिसके अनुसार एकमात्र आवश्यकता यह है कि काली सूची में डाले जाने से पूर्व, आपूर्तिकर्ता को स्पष्टीकरण मांगते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा और उक्त नोटिस में निर्दिष्ट समयावधि के भीतर उत्तर न देने की स्थिति में, या असंतोषजनक उत्तर के प्रकरण में, प्रबंध निदेशक, सीजीएमएससीएल प्रकरण के गुणों–दोषों के आधार पर उचित कार्यवाही कर सकते हैं और काली सूची में डालने सहित शास्ति अधिरोपित कर सकते हैं। निविदा के खंड–III की धारा 20 में, उक्त प्रकरण के संबंध में किसी भी विवाद्यक हेतु मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के अधीन मध्यस्थता के वैकल्पिक उपचार के साथ–साथ अपील का उपचार भी प्रदान किया गया है। एनआईटी/निविदा के खंड–III की धारा 25 कपट और भ्रष्टाचार से संबंधित है और धारा 25 (ख) (i)–(iii) भ्रष्ट, कपट और दुरभिसंधि आचरण को परिभाषित करती है।

9. श्री नायक द्वारा यह भी तर्क किया गया है कि वर्तमान निविदा में भाग लेने वाली किसी भी फर्म के लिए अनुलग्नक–8 प्रस्तुत करना अनिवार्य था, जो कि अनुबंध–पूर्व सत्यनिष्ठा समझौता है। इस समझौते के खंड 4 के अनुसार, निविदाकार याचिकाकर्ता ने विशेष रूप से यह वचन दिया है कि वह निविदा प्राप्त करने के लिए या उसे प्राप्त करने की प्रक्रिया में, अपनी बोली के किसी भी चरण के दौरान या अनुबंध–पूर्व अथवा अनुबंध–पश्चात किसी भी चरण में भ्रष्ट आचरण, अनुचित साधनों और अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए आवश्यक सभी उपाय करने हेतु प्रतिबद्ध है। विशेष रूप से, वह स्वयं को खंड 4 में निर्धारित शर्तों सहित अन्य गतिविधियों के लिए प्रतिबद्ध करता है। निविदाकार, निविदा प्रक्रिया, बोली मूल्यांकन, अनुबंध और अनुबंध के कार्यान्वयन की पारदर्शिता, निष्पक्षता और प्रगति को बाधित करने के लिए अनुबंध में रुचि रखने वाले अन्य पक्षकारों के साथ दुरभिसंधि नहीं करेगा। इसके अतिरिक्त, खंड 7 उल्लंघनों के लिए प्रतिबंधों का प्रावधान करता है और अनुलग्नक–8 के खंड 7(vii) के अनुसार, उल्लंघन आदि की स्थिति में निविदाकार याचिकाकर्ता न्यूनतम 3 वर्ष की अवधि के लिए विर्जित किए जाने का पात्र है। निविदा संदर्भ क्रमांक 182/इक्यूपी/सीजीएमएससी/2022–23 के संबंध में, भ्रष्टाचार निवारण ब्यूरो/आर्थिक अपराध शाखा ने थाना आर्थिक अपराध शाखा, रायपुर में दिनांक 22.01.2025 को प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांक 05/2025 दर्ज की है। यह प्रथम सूचना रिपोर्ट न केवल याचिकाकर्ता फर्म के विरुद्ध, बल्कि मोक्षित कॉर्पोरेशन व अन्य अधिकारियों के विरुद्ध भी भारतीय दंड संहिता की धारा 409, 120–ख और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)(क), 7(ग) के अधीन दर्ज की गई है। याचिकाकर्ता के विरुद्ध विशिष्ट आरोप लगाए गए हैं कि उसने 'मोक्षित कॉर्पोरेशन' के पक्ष में निविदा आवंटन कराने के प्रयोजन से निविदा में भाग लिया था और पक्षकारों ने इसमें दुरभिसंधि की थी तथा याचिकाकर्ता ने महत्वपूर्ण एवं निर्णायक तथ्यों को छिपाया था। वर्तमान प्रकरण में भ्रष्टाचार निवारण

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

ब्यूरो/आर्थिक अपराध शाखा द्वारा विस्तृत और गहन जांच जारी है। भ्रष्टाचार निवारण ब्यूरो/आर्थिक अपराध शाखा ने पत्र दिनांक 27.01.2025 के माध्यम से इस निविदा प्रकरण के समस्त मूल अभिलेख, इसकी कार्यवाही और निविदा की सॉफ्ट कॉपी एवं संबंधित दस्तावेजों को जब्त कर लिया है, जिससे यह स्पष्ट है कि उक्त अभिलेख भ्रष्टाचार निवारण ब्यूरो/आर्थिक अपराध शाखा को सौंप दिए गए हैं।

10. प्रत्यर्थी/कॉर्पोरेशन ने प्रकरण दर्ज होने के अनुक्रम में और प्रकरण के परिशीलन के पश्चात, याचिकाकर्ता के विरुद्ध दिनांक 30.01.2025 को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसमें यह पूछा गया था कि निविदा शर्तों एवं निबंधनों/एनआईटी के खंड II की धारा 9(ख)(2) के अधीन याचिकाकर्ता को ऐसी कुप्रथाएं अपनाने तथा कपट एवं भ्रष्ट तरीके से कार्य करने, और एल–1 मोक्षित कॉर्पोरेशन को विधि–विरुद्ध लाभ पहुँचाने के प्रयोजन से 'दुरभिसंधि बोली' जैसी गतिविधियों में शामिल होने के कारण क्यों न काली सूची में डाल दिया जाए, जिसके द्वारा उसने महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाया है। इसके अतिरिक्त, यह प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता प्रथम दृष्टया कुत्सित आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहा है और विभाग के साथ कपट करने के आशय से दुरभिसंधि पूर्ण तरीके से कार्य किया है। एनआईटी/निविदा दस्तावेजों के खंड II की धारा 9 के अनुसार, वर्तमान प्रकरण में काली सूची में डालने की प्रक्रिया स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट की गई है, जिसके अनुसार काली सूची में डालने से पूर्व, आपूर्तिकर्ता को स्पष्टीकरण मांगते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा और नोटिस में निर्दिष्ट समयावधि के भीतर उत्तर न मिलने पर, या उत्तर असंतोषजनक होने पर, प्रबंध निदेशक, सीजीएमएससीएल प्रकरण के गुणों–दोषों के आधार पर उचित कार्यवाही कर सकते हैं और काली सूची में डालने सहित शास्ति अधिरोपित कर सकते हैं। वर्तमान प्रकरण में, उपर्युक्त निर्धारित प्रक्रिया का विधिवत पालन किया गया है और याचिकाकर्ता के उत्तर पर विचार किया गया जो असंतोषजनक पाया गया। इसके अतिरिक्त, किसी भी पक्ष के उत्तर पर विचार करने का स्वतः यह अर्थ नहीं है कि उसकी विषय–वस्तु को अक्षरशः स्वीकार कर लिया गया है। वर्तमान प्रकरण में याचिकाकर्ता ने केवल यह कथन किया है कि आरोप पूरी तरह से झूठे हैं और उसके द्वारा कोई आपराधिक गतिविधि नहीं की गई है तथा ऐसा कोई साठगांठ नहीं था; उसने आगे यह भी कथन किया है कि कंपनी के विरुद्ध कोई प्रथम दृष्टया प्रकरण नहीं बनता है और उसने अपनी निर्दोषता दोहराई है। धारा 9(ख)(2) सीजीएमएससी को ऐसे किसी भी निविदाकार को 3 वर्ष की अवधि के लिए काली सूची में डालने का अधिकार देती है जो बोली जीतने या क्रय आदेश प्राप्त करने के आशय से झूठे, कूटरचित या बनावटी दस्तावेज प्रस्तुत करता है या तथ्यों को छिपाता है। इसके अतिरिक्त, धारा 9(ख)(2) विभाग को अधिकार देती है कि प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर निविदाकार अन्य विधिक कार्यवाही के लिए भी उत्तरदायी होगा।

11. श्री नायक का आगे यह तर्क है कि यह स्थापित विधि है कि यदि यह मान भी लिया जाए कि काली सूची में डाल दी गई है और उसका कारण निविदा दस्तावेज में उल्लिखित नहीं है, तो भी वह किसी विभाग की किसी निविदाकार को काली सूची में डालने की शक्ति का निर्धारक नहीं होगा। इसके अतिरिक्त, यदि

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

यह मान लिया जाए कि कोई कार्यवाही निविदा दस्तावेज के दायरे से बाहर की गई है, तो भी निविदा दस्तावेज न तो विभाग को ऐसी शक्तियां प्रदान कर सकते हैं जो विधि द्वारा प्रदान नहीं की गई हैं, और न ही उन शक्तियों को कम कर सकते हैं जो स्पष्ट प्रावधान या आवश्यक निहितार्थ द्वारा विधि द्वारा प्रदान की गई हैं। अतः, दोषी निविदाकार के विरुद्ध संभावित कार्यवाहियों में काली सूची में डालने का उल्लेख न होना मात्र सीजीएमएससी को ऐसे निविदाकार को काली सूची में डालने से नहीं रोकता जो विभाग के साथ कपट करने और मोक्षित कॉर्पोरेशन को अवैध लाभ पहुँचाने के लिए कपट, भ्रष्ट और दुरभिसंधि पूर्ण प्रथाओं में शामिल है। वर्तमान प्रकरण में, याचिकाकर्ता को 30.01.2025 को काली सूची में डालने हेतु स्पष्ट रूप से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जिसका उत्तर याचिकाकर्ता द्वारा 01.02.2025 को दाखिल किया गया और उसके सावधानीपूर्वक परिशीलन के पश्चात, दिनांक 05.02.2025 को काली सूची में डालने का अंतिम आदेश निविदा की शर्तों और निबंधनों के अनुरूप पारित किया गया है। याचिकाकर्ता ने उत्पादों की 9 श्रेणियों के लिए निविदा में भाग लिया था और अपनी बोली प्रस्तुत की थी। सभी भाग लेने वाली और पात्र फर्मों की बोलियां खोली गईं, जिसमें याचिकाकर्ता के साथ दो अन्य फर्म — मैसर्स मोक्षित कॉर्पोरेशन और श्री शारदा इंडस्ट्रीज निविदा में पात्र पाई गईं। तकनीकी और वित्तीय बोली के मूल्यांकन पर, याचिकाकर्ता सहित उक्त तीनों फर्में पात्र पाई गईं। तीनों फर्मों ने अनुलग्नक–23 में उल्लिखित 11 श्रेणियों में से उन्हीं 9 श्रेणियों के उत्पादों के लिए भाग लिया था। मूल्यांकन प्रक्रिया के अंतर्गत एनआईटी/निविदा दस्तावेज के खंड II की धारा 6 निविदा प्रक्रिया के संबंध में में स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया गया था कि केवल उन्हीं मदों की मूल्य बोलियों/वित्तीय मूल्यांकन को खोला और मूल्यांकित किया जाएगा जो कवर–ए और कवर–ख (तकनीकी बोली)में अर्हता प्राप्त करेंगे और तकनीकी मूल्यांकन के दौरान निविदाकार की बोली संतोषजनक और उत्तरदायी पाई जाएगी। उपर्युक्त तकनीकी चरणों में पात्र होने के परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ता की मूल्य बोली दो अन्य पात्र प्रतिभागी फर्मों, मैसर्स मोक्षित कॉर्पोरेशन और श्री शारदा इंडस्ट्रीज के साथ खोली गई थी। सरकार के ई–प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़ों और डाउनलोड किए गए पृष्ठ से वर्तमान निविदा के विवरण देखे जा सकते हैं। इसके अलावा, ई–प्रोक्योरमेंट पोर्टल जो सार्वजनिक डोमेन में है के माध्यम से उन उत्पादों की वित्तीय बोली उपलब्ध है जिनमें याचिकाकर्ता और अन्य पात्र फर्मों ने भाग लिया था, जिसके अनुसार याचिकाकर्ता ने बहुत ही चालाकी और धूर्तता से उत्पादों की सभी श्रेणियों के लिए स्वयं को 20–25% के निरंतर अंतर के साथ एल–3 बनाए रखा, जो एक जटिल आपराधिक योजना का हिस्सा था ताकि मोक्षित कॉर्पोरेशन को एल–1 घोषित कर निविदा आवंटित की जा सके। यह एक निर्विवाद तथ्य है कि निविदा प्रक्रिया अंततः मैसर्स मोक्षित कॉर्पोरेशन के पक्ष में समाप्त हुई जिसे एल–1 निविदाकार घोषित किया गया और अंततः 13.08.2023 को मोक्षित कॉर्पोरेशन के पक्ष में दर अनुबंध निष्पादित किया गया। यद्यपि, यह याचिकाकर्ता ही था जिसने अन्य पात्र कंपनी के साथ मिलकर मोक्षित कॉर्पोरेशन के पक्ष में एल–1 घोषित करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। विस्तृत जांच से यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता ने मोक्षित कॉर्पोरेशन और श्री शारदा इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर अपने सम्मिलित प्रयत्नों, दुर्भावनापूर्ण आशय और

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

साठगांठ के माध्यम से कपट की प्रथाओं को अपनाया ताकि निविदा मोक्षित कॉर्पोरेशन को आवंटित हो सके। उक्त तथ्य स्पष्ट रूप से याचिकाकर्ता की अन्य दो प्रतिभागी फर्मों (एल–1 मोक्षित कॉर्पोरेशन सहित) के साथ दुरभिसंधि और साठगांठ को दर्शाते हैं ताकि सीजीएमएससी के साथ कपट कर मोक्षित कॉर्पोरेशन को अवैध लाभ पहुँचाया जा सके, और याचिकाकर्ता ने महत्वपूर्ण एवं निर्णायक तथ्यों को छिपाया है। अतः, काली सूची में डालने का आदेश सही, न्यायसंगत, उचित, युक्तियुक्त एवं उपयुक्त है।

12. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **ओडिशा राज्य व अन्य विरुद्ध पांडा इन्फ्राप्रोजेक्ट लिमिटेड** {(2022) 4 एससीसी 393} तथा **पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड विरुद्ध भारत संघ व एक अन्य** {(2012) 11 एससीसी 257} के प्रकरणों में पारित निर्णयों का अवलंब लिया गया है।

13. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना है,अभिवचनों तथा उनसे संबंधित दस्तावेज़ों का परिशीलन किया है।

14 याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि यद्यपि उसने उत्तरवादी–सीजीएमएससी द्वारा आमंत्रित निविदा कार्यवाही में भाग लिया था, किंतु उसे दिनाँक 05.02.2025 के आदेश द्वारा भविष्य की भागीदारी से तीन साल की अवधि के लिए इस आरोप में काली सूची (ब्लैकलिस्ट) में डाल दिया गया है कि याचिकाकर्ता, मोक्षित कॉर्पोरेशन जिसे अनुबंध प्रदान किया गया है के साथ कपट और भ्रष्ट आचरण में शामिल था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15 यह निर्विवाद है कि भ्रष्टाचार निवारण ब्यूरो/आर्थिक अपराध शाखा द्वारा याचिकाकर्ता फर्म के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के अधीन अपराध क्रमांक 5/2025 पंजीबद्ध किया गया है, यद्यपि, उस प्रकरण में जांच अभी तक पूर्ण नहीं हुई है। उत्तरवादी/सीजीएमएससी का तर्क यह है कि याचिकाकर्ता दुरभिसंधि बोली में शामिल था क्योंकि याचिकाकर्ता द्वारा दी गई दरें मोक्षित कॉर्पोरेशन की तुलना में केवल 20–25% अधिक थीं, ताकि मोक्षित कॉर्पोरेशन को एल–1 बनाया जा सके। याचिकाकर्ता कंपनी के विरुद्ध केवल अपराध दर्ज होने का स्वतः यह अर्थ नहीं होगा कि याचिकाकर्ता कंपनी उस अपराध के लिए दोषी है जिसका उस पर आरोप लगाया गया है। जांच अभी पूरी होना शेष है और भ्रष्टाचार निवारण ब्यूरो/आर्थिक अपराध शाखा द्वारा सक्षम न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र अभी प्रस्तुत नहीं की गई है। यदि याचिकाकर्ता द्वारा दी गई दरों और मोक्षित कॉर्पोरेशन द्वारा दी गई दरों में 20–25% का अंतर था, तो उसे इस बात का निर्णायक प्रमाण नहीं माना जा सकता कि वहां दुरभिसंधि बोली लगाई गई थी।

16 माननीय उच्चतम न्यायालय ने **बकारोस परफ्यूम्स एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड** (पूर्वोक्त) के प्रकरण में निम्नानुसार अवधारित किया है:

> "22. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की योजना के परिशीलन से हमें यह निष्कर्ष निकालने की अनुमति मिलती है कि केवल प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध होने का यह अर्थ नहीं निकाला जा सकता कि यह ऐसी कार्यवाहियों का प्रारंभ है। प्रथम

> सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध होने के बाद दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 155 से 176 में उल्लिखित विस्तृत प्रक्रिया के अनुसार एक सक्षम अधिकारी द्वारा विवेचना आवश्यक होती है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173(2) के अनुपालन में अंतिम रिपोर्ट (या जैसा कि सामान्य बोलचाल में कहा जाता है, चालान या आरोप–पत्र) प्रस्तुत किए जाने के उपरांत ही संबंधित अपराध (धों) का संज्ञान लिया जाता है। यद्यपि, निस्संदेह, न्यायालय उक्त रिपोर्ट से बाध्य नहीं है।"

17 मैसर्स इरुशियन इक्विपमेंट एंड केमिकल्स लिमिटेड(पूर्वोक्त) के प्रकरण में,माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्नानुसार अवधारित किया गया है:

> "20. काली सूची में डालने का प्रभाव किसी व्यक्ति को लाभ के प्रयोजन से सरकार के साथ विधिक संबंध बनाने के विशेषाधिकार और लाभ से वंचित करना है। यह तथ्य कि काली सूची में डालने के आदेश द्वारा अपात्रता उत्पन्न की जाती है, यह दर्शाता है कि संबंधित प्राधिकारी को एक वस्तुनिष्ठ संतुष्टि रखनी चाहिए। निष्पक्षता के मूलभूत सिद्धांत यह मांग करते हैं कि संबंधित व्यक्ति को काली सूची में डालने से पूर्व उसे अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाना चाहिए।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18 बी.एस.एन. जोशी एंड संस लिमिटेड विरुद्ध नायर कोल सर्विसेज लिमिटेड व अन्य {(2006) 11 एससीसी **548}** के प्रकरण में, माननीय न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:

> "41. ... जब किसी अनुबंधकर्ता को किसी विभाग द्वारा काली सूची में डाल दिया जाता है, तो उसे अनुबंध प्राप्त करने से रोक दिया जाता है, लेकिन निविदा आमंत्रण सूचना की शर्तों के अनुसार जब किसी निविदाकार को 'व्यतिक्रमी' घोषित कर दिया जाता है, तो उसे कोई भी अनुबंध प्राप्त नहीं हो सकता है। उसे अपना व्यवसाय बंद करना पड़ सकता है। अतः, इसका उस पर विनाशकारी प्रभाव पड़ेगा। कोई व्यक्ति भुगतान करने में व्यतिक्रम करता है या नहीं, यह उन संदर्भों पर निर्भर करेगा जिनमें आरोप लगाए गए हैं और साथ ही उस क्षेत्र में लागू सुसंगत विधि पर भी निर्भर करेगा। जब कोई मांग की जाती है और यदि संबंधित व्यक्ति उस दावे के संबंध में कोई वास्तविक विवाद उठाता है, तो जब तक उस विवाद का समाधान नहीं हो जाता, उसे व्यतिक्रमी घोषित नहीं किया जा सकता है।"

19 काली सूची में डालने का आदेश अनुपातिकता के सिद्धांत के विपरीत और माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **कुलजा इंडस्ट्रीज लिमिटेड विरुद्ध मुख्य महाप्रबंधक पश्चिमी दूरसंचार परियोजना बीएसएनएल व अन्य** {(2014) 14 एससीसी 731} के प्रकरण में प्रतिपादित विधिक सिद्धांत के प्रतिकूल प्रतीत होता है, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार अवधारित किया है:

> "25. यह कहना पर्याप्त होगा कि 'विवर्जन' को उन विचलित आपूर्तिकर्ताओं / अनुबंधकर्ताओं को अनुशासित करने के लिए एक प्रभावी तरीके के रूप में मान्यता प्राप्त है और अक्सर उपयोग किया जाता है, जिन्होंने लोप या कृत्य अथवा कपट की हो, जिसमें मिथ्या निरूपण, अभिलेखों का कूटकरण और उन विनियमों के अन्य उल्लंघन शामिल हैं जिनके तहत ऐसे अनुबंध आवंटित किए गए थे। उल्लेखनीय तथ्य यह है कि 'विवर्जन' कभी भी स्थायी नहीं होती है और विवर्जन की अवधि अनिवार्य रूप से दोषी अनुबंधकर्ता द्वारा किए गए अपराध की प्रकृति पर निर्भर करेगी।"

20. यद्यपि याचिकाकर्ता को काली सूची में डालने का आक्षेपित आदेश जारी करने से पूर्व कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, तथापि, चूंकि भ्रष्टाचार निवारण ब्यूरो/आर्थिक अपराध शाखा ने अभी तक अपनी जांच पूर्ण नहीं की है, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि याचिकाकर्ता–कंपनी द्वारा मोक्षित कॉर्पोरेशन के पक्ष में दुरभिसंधि बोली लगाई गई थी। इस प्रकार, केवल निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के आधार पर याचिकाकर्ता को काली सूची में डालने का यह कठोर कदम अत्यंत असमानुपातिक प्रतीत होता है। यदि भ्रष्टाचार निवारण ब्यूरो/आर्थिक अपराध शाखा अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करती है और यदि कोई अपराध बनता है तथा सक्षम न्यायालय उसका संज्ञान लेता है, तो उत्तरवादी/सीजीएमएससीएल के पास उचित कार्रवाई करने का अवसर होगा, किंतु काली सूची में डालने का वर्तमान आदेश असामयिक प्रतीत होता है और इस प्रकार, यह अभिखण्डित किए जाने योग्य है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

21 काली सूची में डालने का आदेश अनुबंध के उल्लंघन के सामान्य प्रकरणों में जारी नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इसके गंभीर नागरिक परिणाम होते हैं, जो प्रभावित पक्ष के लिए "नागरिक मृत्यु"और "व्यावसायिक निर्वासन" के समान है। यह कठोर शास्ति, जो किसी पक्ष को भविष्य के अनुबंधों से अवरुद्ध है और उनकी प्रतिष्ठा को क्षति पहुँचाता है, केवल अत्यंत गंभीर प्रकरणों के लिए आरक्षित होना चाहिए, न कि सामान्य उल्लंघनों या सद्भाविक विवादों के लिए, और इसे सदैव अनुपातिकता और नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए।

22. तदनुसार,उत्तरवादी क्रमांक 2–सीजीएमएससीएल द्वारा याचिकाकर्ता के विरुद्ध जारी आदेश क्रमांक 14209/सीजीएमएससीएल/इक्यूपी/2025,दिनांक 05.02.2025(अनुग्रक पी/1),तथा उससे उद्भूत परिणामों को अभिखण्डित किया जाता है।

23. फलस्वरूप, यह याचिका **स्वीकार** की जाती है।

24. यह स्पष्ट किया जाता है कि याचिकाकर्ता कंपनी और उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि के विरुद्ध पंजीबद्ध दाण्डिक प्रकरण को, इस आदेश में की गई किसी भी टिप्पणी से प्रभावित हुए बिना, विधि सम्मत इसके तार्किक अंत तक पहुँचाया जाएगा।

सही/–
(बिभु दत्त गुरु)
न्यायाधीश

सही/–
(रमेश सिन्हा)
मुख्य न्यायाधिपति

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवाहरिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur